


कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नज़ारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगण में स्थित 01 नीम का सूखा खड़ा वृक्ष (अयोग्य) जिसकी गोलाई 121 से ०मी० है, को प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नीलामी की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना है, जिस हेतु दिनांक 31.07.2020 दिन शुक्रवार समय सायं 4:00 बजे नियत है।


इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपरिथित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.allahabadhighcourt.in> एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाइट <https://hathras.nic.in> एवं केन्द्रीय नज़ारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक: 01.07.2020


01-07-2020
(योगेन्द्र राम गुप्ता)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश,
(एस.सी./एस.टी. अधिनियम)
हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित



जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगण में स्थित 01 नीम का सूखा छड़ा वृक्ष (आयोग्य) जिसकी गोलाई 121 रोटी० है, को प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नीलामी की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना है, जिस हेतु दिनांक 31.07.2020 दिन शुक्रवार समय सायं 4:00 बजे नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपरिथित हों। नीलामी की समरत शर्तों की विस्तृत जानकारी <http://www.allahabadhighcourt.in>, <https://hathras.nic.in> एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :-

01. सभी ठेकेदार/बोलीदाता को नीलामी से 02 घण्टे पूर्व केन्द्रीय नजारत, हाथरस में जमानत धनराशि रु० 1,000/- (एक हजार) जमा करना होगा। अन्यथा ठेकेदार/बोलीदाता को नीलामी की कार्यवाही में समिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। नीलामी की समाप्ति पर यदि ठेकेदार/बोलीदाता के नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि ठेकेदार/बोलीदाता को वापस कर दी जायेगी।
02. ठेकेदार नियमानुसार आय कर एवं स्टॉप शुल्क जमा करेगा।
03. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समरत धनराशि तत्काल जमा करना होगा। यदि वह समरत धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
04. प्रकाष्ठ की निकासी से पूर्व नियमानुसार कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस में कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क नियमानुसार जमा करना होगा।
05. वृक्ष की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय, हाथरस में तथा कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा नियमानुसार निर्धारित कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त होगी।
06. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
07. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
08. प्रत्येक ठेकेदार को अपना आधार कार्ड/पहचान पत्र की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लेकर आना आवश्यक है।

(Yogendra Ram Gupta)
०१.७.२०२०

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. अधिगियम),
हाथरस।